79

24-1-18

5

//श्री//

प्र0क0 /निगरानी/71–18

PBR/ निगरानी/ रतलाम/ भू.रा/2018/0553

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राजस्व बोर्ड ग्वालियर म0प्र0

दीपक पिता चंपालालजी धाकड
निवासी गांव पल्दुना तह. व जिला रतलाम म0प्र0 – प्रार्थी

विरूद्व

लीलाराम पिता बगदीरामजी धाकड
निवासी ग्राम पल्दुना तह. व जिला रतलाम म0प्र0 – प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भु0रा0सं0 विरूद्व आदेश कार्यालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त–1 नामली टप्पा तहसील नामली जिला रतलाम म0प्र0 प्र.क. 42–अ–12/16–17 आदेश दिनांक 07.05.2017

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य सक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के रूप मे एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत कार्यालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 नामली मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 680/2 किता– 1 रकबा 0.090 हेक्टर की गांव पल्दुना तहसील टप्पा नामली जिला रतलाम मे स्थित है प्रतिप्रार्थी आ… उपरोक्त भूमि का सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह कायम कर… चाहता है इस आशय का आवेदन दिनांक 05.04.2016 को प्र… किया।

यह कि उपरोक्त आवेदन से राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 नामली द्वारा सीमांकन के दिन उपस्थित रहने हेतु… कृषको को सूचनापत्र दिनांक 02.05.2017 को जारी किया ग… सीमांकन की दिनांक 05.05.2017 नियत की गई थी। किन्तु…

दीपक

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/553

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	